CIN : U40109RJ2000SGC016480

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(कार्मिक विभाग)

पंजि.कार्या. : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर – 302005
फोन व फैक्स नं. : 0141-2747036
Website : www.jaipurdiscom.com
Email : cpo@jvvnl.in; cpojvvnl@yahoo.com

क्रमांक: जेपीडी/मु.का.अ./उ.नि.का./प.– /प्रे. 3190 जयपुर दिनांक: 11-12-15

सूचना

प्रदेश की पाँचों विद्युत कम्पनियों में कार्यरत एक वर्ग विशेष के श्रमिकों द्वारा राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी ऐसोशिऐसन के तत्वाधान में दिनांक 08.12.2015 से लगातार हड़ताल/धरना/तोडफोड/विद्युत व्यवस्था में व्यवधान और प्रदर्शन द्वारा अपनी मांगो को अनुचित तरीके से मनवाने के लिए दवाब डाला जा रहा है। ऐसोशिऐसन की मांगों पर प्रशासन ने कई बार उनके साथ वार्ता कर समझाने की कोशिश की। उनके द्वारा उठाई गई जायज मांगों पर विचार करने हेतु निगम सदैव तैयार है, किन्तु ऐसोशिऐसन के पदाधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल करने पर अड़िग हैं।

राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 02.12.2015 को जारी अधिसूचनाओं के तहत पांचो विद्युत कम्पनियों को राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम–1970 के अन्तर्गत आवश्यक सेवा घोषित करते हुए हड़ताल किये जाने को दिनांक 31.05.2016 तक के लिये प्रतिषेध किया है। ऐसी स्थिति में बिजली कम्पनियों में कार्यरत सभी कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के द्वारा प्रस्तावित हड़ताल स्वतः ही गैर कानूनी हो जाती है। इसके पश्चात भी यदि कोई हड़ताल में शामिल होता है/हड़ताल के लिये उकसाने की कोशिश करता है/किसी कानून या विधि सम्प्रभावी नियमो का उल्लंधन करता है, तो उसके विरूद्ध न केवल राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम–1970 के अधीन कार्यवाही की जावेगी अपितु कम्पनियों में लागू तकनीकी कर्मकार सेवा विनियम–1975 के विनियम 21(a)(b)(g) के तहत भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। सेवा विनियम–1975 के विनियम 9(h) के प्रावधानों के अन्तर्गत–

> **"यदि कोई श्रमिक बिना अवकाश आठ दिवस से अधिक की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो यह माना जावेगा कि उसने बिना नोटिस दिये स्वयं ही निगम की सेवा छोड़ दी है और इस प्रकार उसने स्वतः ही सेवा करार समाप्त कर दिया है।"**

अतः एतद् द्वारा तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों में कार्यरत सभी तकनीकी श्रमिकों, जो कि दिनांक 08.12.2015 से जारी गैर कानूनी हड़ताल में लिप्त हैं, से अपेक्षा की जाती है कि तुरन्त हड़ताल समाप्त कर अपने–अपने कार्य स्थलों पर उपस्थित होवें अन्यथा उनके विरूद्ध तकनीकी कर्मकार सेवा विनियम–1975 के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी और हड़ताल अवधि को सेवा व्यवधान माना जावेगा, जिसका उनकी पदोन्नति एवं चयनित वेतनमान/ऐसीपी आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

कृपया सूचित रहें।

(भास्कर ऐ. सावंत)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स